

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/41/2021

रजि0 न0 2021/78

अपीलार्थी:-

श्री जसवन्त सिंह यादव पुत्र श्री पन्ना
लाल यादव, निवासी ग्राम पो0 शेरपुर
तह0 बहरोड़ जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 23.03.2021

8. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2020 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
9. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
10. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित आवे।
11. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/686 दिनांक 19.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए, पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि कार्यवाही हेतु अनुरोध स्वरूप आवेदन, दिनांक 26.12.2020 में वांछित सूचना की विषयवस्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत कवर नहीं होने के कारण, कार्यालय के पत्रांक 107 दिनांक 14.01.2021 के माध्यम से विधिक विनिश्चय किया जाकर आवेदन खारिज करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
12. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
13. निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(नन्नुमल पहाडिया)
जिला कलेक्टर, अलवर
अलवर (राज0)